[2019] 2 उम. नि. प. 108

पलानी

बनाम

तमिलनाडु राज्य

27 नवम्बर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 149 और 302 – अपीलार्थी-अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा घातक आयुधों से लैस होकर मृतक की हत्या किया जाना – मृतक की माता का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य – चिकित्सीय और अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि – दोषसिद्धि – जहां अपीलार्थी-अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा मृतक को घेरकर घातक आयुधों से क्षतियां कारित करके उसकी हत्या कर दी गई और घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय, सटीक और भरोसेमंद पाया गया हो तथा चिकित्सीय और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा समर्थन होता हो, वहां धारा 149 की सहायता से की गई अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 19 अगस्त, 1996 को लगभग 5.00-5.30 बजे अपराह्न में कमला, मृतक शंकर की माता, अय्याप्पन (अभि. सा. 2) मृतक का भाई और अब्बास (अभि. सा. 3), मृतक का मामा अभि. सा. 2 के बालक, जिसका 15 अगस्त, 1996 को जन्म हुआ था, को देखने के लिए एक आटो में हरिकेशवनल्लुर गए थे । मृतक शंकर और अब्बास (अभि. सा. 3) एक मोटर साइकिल पर उनके पीछे-पीछे जा रहे थे । जब वे हरिकेशवनल्लुर में पिलाय्यर मंदिर के निकट पहुंचे, तो अपीलार्थी-अभियुक्त सहित आठ अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक शंकर को घेर लिया । अभियुक्त जयालक्ष्मी के उकसाने पर अभियुक्त मैरी **उर्फ** मीरयाप्पन ने पीछे से मृतक शंकर को चाकू घोंप दिया और अभियुक्त जयालक्ष्मी ने मृतक शंकर की दुपहिए के पेट्रोल टैंक में जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंक दी और उसे आग में जला दिया । यह देखकर कमला (अभि. सा. 1), मृतक शंकर और अब्बास

(अभि. सा. 3) विभिन्न दिशाओं में भागने लगे । कमला (अभि. सा. 1) अपने पुत्र शंकर के पीछे-पीछे भागने लगी । सभी अभियुक्तों ने उनका पीछा किया । जब वे खेत के निकट पहुंचे, तो सभी अभियुक्तों ने शंकर को घेर लिया और अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अपीलार्थी-अभियुक्त पलानी ने मृतक शंकर को अरुवल से काट दिया । अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मृतक शंकर नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्, कमला (अभि. सा. 1) लगभग 8.00 बजे अपराह्न में वीरावनाल्लुर पुलिस थाने गई और संपूर्ण घटना का वर्णन किया । शिकायत प्राप्त होने पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 435, 341 और 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । विचारण न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी समर्थित साक्षी कमला (अभि. सा. 1) के साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, धारा 149 के साथ पठित धारा 435 और धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और उन सभी को आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया । अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील को और अभियुक्त सं. 1, 3, 5 और 6 द्वारा फाइल की गई अपीलों को भी खारिज कर दिया और अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की । अभियुक्त -7 (अपीलार्थी) द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – कमला (अभि. सा. 1), मृतक शंकर की माता अभियोजन पक्ष की ओर से प्रमुख साक्षी है । अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि तारीख 19 अगस्त, 1996 को लगभग 5.00-5.30 बजे अपराह्न में वह अपने छोटे पुत्र मृतक शंकर के साथ अपने बड़े पुत्र अय्याप्पन (अभि. सा. 2) के नवजात शिशु को देखने के लिए हरिकेशवनल्लुर जा रही थी । जब वे हरिकेशवनल्लुर मुक्कुवीतु पिलाय्यर कोली के निकट आटो से उतरे, तो अभियुक्त-1 से अभियुक्त-7 चाकू और अरुवल जैसे खतरनाक आयुधों से लैस होकर

उनकी ओर आए और उस समय जयालक्ष्मी (अभियुक्त-5) चिल्लाई "केवल देख क्यों रहे हो, काट और मार डालो" और इसके ठीक पश्चात् मैरी (अभियुक्त-4) ने मृतक शंकर को उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया । अभियुक्त-8 ने मृतक शंकर के दुपहिए का पेट्रोल टैंक खोला और उसके अंदर माचिस की जलती हुई तिल्ली डाल दी और उसमें आग लग गई । इस पर, मृतक पक्ष अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न दिशाओं में भागे । अभि. सा. 1 मृतक शंकर के पीछे-पीछे भागी । घटना की दूसरी वारदात, जो धान के खेत में हुई थी, के बारे में अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि जब वे धान के खेत में पहुंचे, तो अभियुक्त-1 से अभियुक्त-7 ने शंकर को घेर लिया और अभियुक्त बालकृष्णन् ने अरुवल से मृतक शंकर को उसके कंधे और गर्दन की बाईं तरफ काट दिया । अभियुक्त जेनाकरन, मैरी **उर्फ** मरियाप्पन और राजा ने बार-बार शंकर पर चाकू से प्रहार किया । अभियुक्त कासी और पलानी (अपीलार्थी) ने अरुवल से शंकर को काटा । शंकर के सिर से रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया तथा घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 का यह स्पष्ट साक्ष्य है कि अभियुक्तों ने उसके द्वारा कथित अनुसार क्षतियां कारित की थीं । इस अपील में अभियुक्त अर्थात् पलानी (अभि. -7) के इस दोषपूर्ण कृत्य का कि उसने अरुवल से मृतक को काटा था, अभि. सा. 1 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास हैं और अभि. सा. 1 द्वारा जिन क्षतियों का वर्णन किया गया है उन सभी की संपुष्टि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से नहीं होती है । जहां तक चिकित्सीय और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच अभिकथित फेरफार का संबंध है, यह सुस्थापित है कि मौखिक साक्ष्य को प्रमुखता मिलनी चाहिए और चिकित्सीय साक्ष्य मूलभूत रूप से सैद्धांतिक होता है और चिकित्सीय साक्ष्य में यह उल्लिखित है कि क्षति अभिकथित रीति में कारित की जा सकती थी और किसी अन्य रीति में नहीं । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य को असंगति के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । जब राय मामले की अधिसंभाव्यता के असंगत न हो, तो न्यायालय विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य को त्यक्त नहीं कर सकता है अन्यथा न्याय प्रशासन चिकित्सा विशेषज्ञ के सैद्धांतिक साक्ष्य पर निर्भर हो जाएगा । चिकित्सा

न्याय-शास्त्र यथार्थता के साथ एक सटीक विज्ञान नहीं है, अपितु मात्र सैद्धांतिक है । प्रस्तुत मामले में, मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच बताए गए विरोधाभास इतने गंभीर प्रकृति के नहीं हैं कि जो अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक साबित हो सकें । अभियोजन के पक्षकथन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्टों के रजिस्ट्रीकरण में विलंब हुआ था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृत्युसमीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात् केवल अगले दिन अर्थात् 20 अगस्त, 1996 को 5.00 बजे पूर्वाह्न में न्यायालय में पहुंची थी । अभि. सा. 1 के पुत्र मृतक शंकर पर पहले भाग में मंदिर के निकट हमला हुआ था । उसके पश्चात्, दूसरे भाग में मृतक का अभियुक्तों द्वारा पीछा किया गया था और धान के खेत में पहुंचने पर अभियुक्तों ने मृतक को घेर लिया था और उस पर हमला किया था । अतः, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि संपूर्ण घटना पलभर में नहीं घटी थी । घटना दो भागों में हुई थी और उन परिस्थितियों में यह पूरी तरह स्वाभाविक है कि 8.00 बजे अपराह्न में शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज करने से पूर्व थोड़े समय का अंतराल है । मृतक शंकर की ग्यारह विदीर्ण घाव पहुंचाकर नृशंसतापूर्वक हत्या की गई थी और स्वाभाविक तौर पर, अभि. सा. 1 - एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को सामान्य स्थिति में आने में कुछ समय लगा होगा और फिर अपने नातेदारों से चर्चा करने के पश्चात् शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गई होगी जो चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित था । जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रेषित करने का संबंध है, हैड कांस्टेबल मुरुगय्या (अभि. सा. 10) ने यह निवेदन किया कि पुलिस थाना, वीरावनाल्लुर और न्यायिक मजिस्ट्रेट, चेरनमादेवी के मकान के बीच की दूरी सात किलोमीटर थी और इस हत्या के कारण त्रुनलवेल्ली से नगरकौल के मार्ग पर उस दिन बसें नहीं चल रही थीं और इसलिए उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के मकान तक पैदल जाना पड़ा था । पुनः यहां भी, निचले न्यायालयों ने यह पाया कि मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में ऐसी कोई असामान्य बात नहीं थी जिससे अभियोजन के पक्षकथन पर असर पड़ता हो । अभि. सा. 1 का साक्ष्य सटीक और संगत है और उसके साक्ष्य का चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थन होता है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के उपरांत अपीलार्थी-अभियुक्त को मृतक शंकर की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया था,

जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । निचले न्यायालयों ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत अपीलार्थी-अभियुक्त के संबंध में तथ्य का यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अपीलार्थी-अभियुक्त की हत्या की थी । यह न्यायालय दोषसिद्धि के अधिमत में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाता है । (पैरा 9, 10, 13, 14, 16, 17 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1999] (1999) 5 एस. सी. सी. 96 :
हरियाणा राज्य बनाम **भागीरथ और अन्य** । 14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 1100.

2007 की दांडिक अपील सं. 427 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के तारीख 20 जुलाई, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री बी. करुनाकरण और एस. गौतमन्

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथि और राजा राजेश वारन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – यह अपील 2007 की एस. बी. दांडिक अपील सं. 427 में मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै के उस निर्णय से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 148, धारा 149 के साथ पठित धारा 435 और धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा की गई उसकी दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित कारावास के दंडादेश की पुष्टि की ।

2. कमला (अभि. सा. 1) मृतक शंकर और अय्याप्पन (अभि.

सा. 2) की माता है । विजयलक्ष्मी अभि. सा. 2 की पत्नी है और अब्बास (अभि. सा. 3) अभि. सा. 1 का भाई है । मृतक पक्ष की वंशावली निम्नलिखित है :–

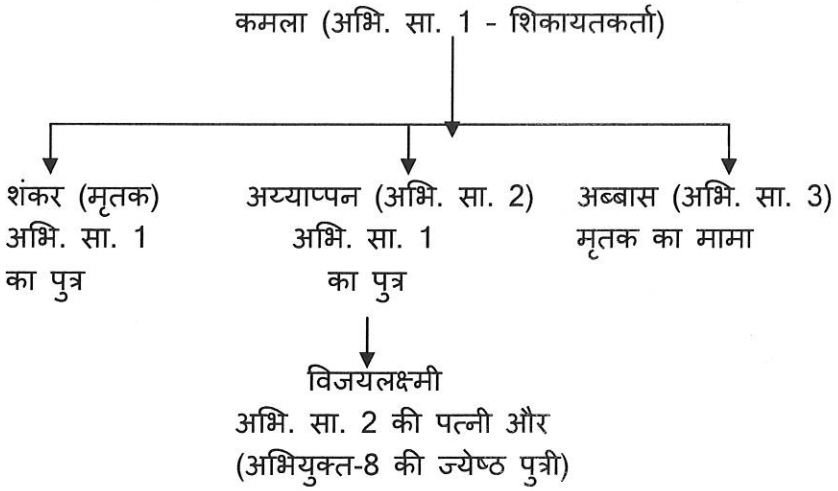

अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 19 अगस्त, 1996 को लगभग 5.00-5.30 बजे अपराह्न में कमला, मृतक शंकर की माता, अय्याप्पन (अभि. सा. 2) मृतक का भाई और अब्बास (अभि. सा. 3), मृतक का मामा अभि. सा. 2 के बालक, जिसका 15 अगस्त, 1996 को जन्म हुआ था, को देखने के लिए एक आटो में हरिकेशवनल्लुर गए । मृतक शंकर और अब्बास (अभि. सा. 3) एक मोटर साइकिल पर उनके पीछे-पीछे जा रहे थे । जब वे हरिकेशवनल्लुर में पिलाय्यर मंदिर के निकट पहुंचे, तो आठ अभियुक्त व्यक्तियों - बालकृष्ण (अभि. - 1) जिसके पास अरुवल था, सुब्रमण्यिन (अभि. - 2) जिसके पास अरुवल था, जेनाकरन (अभि. -3) जिसके पास चाकू था, मैरी **उर्फ** मरियाप्पन (अभि. - 4) जिसके पास चाकू था, राजा (अभि. - 5) जिसके पास चाकू था, कासी (अभि. - 6) जिसके पास अरुवल था, अपीलार्थी-अभियुक्त पलानी (अभि. - 7) जिसके पास अरुवल था और जयालक्ष्मी (अभि. - 8) (जिसकी मृत्यु हो गई है) जो माचिस लिए हुई थी, ने मृतक शंकर को घेर लिया । अभियुक्त जयालक्ष्मी के उकसाने पर अभियुक्त मैरी **उर्फ** मरियाप्पन ने पीछे से मृतक शंकर को चाकू घोंप दिया और अभियुक्त जयालक्ष्मी ने मृतक शंकर की दुपहिए के पेट्रोल टैंक में जलती हुई

माचिस की तिल्ली फेंक दी और उसे आग में जला दिया । यह देखकर कमला (अभि. सा. 1), मृतक शंकर और अब्बास (अभि. सा. 3) भिन्न-भिन्न दिशाओं में भागने लगे । कमला (अभि. सा. 1) अपने पुत्र शंकर के पीछे-पीछे भागने लगी । सभी अभियुक्तों ने उनका पीछा किया । जब वे खेत के निकट पहुंचे, तो सभी अभियुक्तों ने शंकर को घेर लिया और अभियुक्त बालकृष्णन् ने अरुवल से मृतक का दायां कंधा और बाईं तरफ से गर्दन काट दी ; अभियुक्त जेनाकरन, मैरी **उर्फ** मरियाप्पन और राजा ने मृतक को चाकू घोंपे, अभियुक्त कासी और अपीलार्थी-अभियुक्त पलानी ने मृतक शंकर को अरुवल से काट दिया । अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मृतक शंकर नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्, कमला (अभि. सा. 1) लगभग 8.00 बजे अपराह्न में वीरावनाल्लुर पुलिस थाने गई और संपूर्ण घटना का वर्णन किया । उप-निरीक्षक, रमय्या (अभि. सा. 11) के पास शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज की । उप-निरीक्षक (अभि. सा. 11) ने शिकायत (प्रदर्श पी-1) प्राप्त होने पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 435, 341 और 302 के अधीन 1996 के अपराध सं. 150 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) रजिस्ट्रीकृत की ।

3. डा. उलागम्मल (अभि. सा. 7) ने मृतक शंकर के शव की मरणोत्तर परीक्षा की और बहुत सारी क्षतियां पाए जाने के पश्चात् यह राय व्यक्त करते हुए मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-6) जारी किया कि मृत्यु रक्तस्राव के कारण सदमें और बहुत सारी क्षतियां पहुंचने की वजह से हुई थी । अन्वेषक अधिकारी ने तारीख 4 सितम्बर, 1996 को न्यायालय में आवेदन दिया और अभियुक्त सं. 2, 4, 5 और 6 को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लिया । अभियुक्त सं. 2, 4, 5 और 6 के प्रकटन कथनों के आधार पर आयुध भिन्न-भिन्न आकार के अरुवल (बिल हुक्स) और चाकू (तात्विक वस्तु - 17 से 20) उपरोक्त अभियुक्तों के बताने पर प्रदर्श पी-26 से पी-30 के अधीन विभिन्न स्थानों से अभिगृहीत किए गए ।

4. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए तेरह साक्षियों (अभि. सा. 1 से 13) की परीक्षा की और तैंतीस

दस्तावेज (प्रदर्श पी-1 से पी-33) और बीस तात्विक वस्तुएं (ता.व. 1 से 20) प्रदर्शित किए । अभियुक्तों से अपराध में आलिप्त करने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछे गए और अभियुक्तों ने उन सभी प्रश्नों से इनकार किया ।

5. विचारण न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य साक्ष्य से समर्थित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कमला (अभि. सा. 1) के साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, धारा 149 के साथ पठित धारा 435 और धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और उन सभी को आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया । अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा फाइल की गई अपील को और अभियुक्त सं. 1, 3, 5 और 6 द्वारा फाइल की गई अपीलों को भी खारिज कर दिया और अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित कारावास के दंडादेश की अभिपुष्टि की । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं था । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 द्वारा फाइल की गई अपील मंजूर की और उसे दोषमुक्त कर दिया ।

6. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी-अभि. सा. 1 का परिसाक्ष्य भरोसेमंद नहीं है और उसने घटना देखी ही नहीं थी और निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि करके गलती की है । अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि घटना 5.30 बजे अपराह्न में घटी थी और शिकायत (प्रदर्श पी-1) 8.00 बजे अपराह्न में दर्ज की गई थी और शिकायत दर्ज करने में अढाई घंटे का विलंब हुआ था, जिसके बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था । यह दलील दी गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो कथित रूप से 8.00 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने में भी विलंब किया गया था, जो केवल अगले दिन तारीख 20 अगस्त, 1996 को 5.00 बजे पूर्वाह्न में

पहुंची थी और इससे अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

7. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 का साक्ष्य स्वाभाविक है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभि. सा. 2 और 3 के साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित है । यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यह पाया कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य विश्वसनीय, अवलंब लेने योग्य और भरोसेमंद है तथा निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए समवर्ती निष्कर्षों में कोई कमी नहीं है । राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा विलंब को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है । राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य और अभि. सा. 2 और 3 के साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित है और अन्य सह-अभियुक्तों से आयुधों की बरामदगी से भी संपुष्टि होती है । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 7 के दोषपूर्ण कृत्य के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया था और निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. हमने परस्पर विरोधी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और आक्षेपित निर्णय, साक्ष्य और अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन किया ।

9. कमला (अभि. सा. 1), मृतक शंकर की माता अभियोजन पक्ष की ओर से प्रमुख साक्षी है । अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि तारीख 19 अगस्त, 1996 को लगभग 5.00-5.30 बजे अपराह्न में वह अपने छोटे पुत्र मृतक शंकर के साथ अपने बड़े पुत्र अय्यप्पन (अभि. सा. 2) के नवजात शिशु को देखने के लिए हरिकेशवनल्लुर जा रही थी । जब वे हरिकेशवनल्लुर मुक्कुवीतु पिलाय्यर कोली के निकट आटो से उतरे, तो अभियुक्त-1 से अभियुक्त-7 चाकू और अरुवल जैसे खतरनाक आयुधों से लैस होकर उनकी ओर आए और उस समय जयालक्ष्मी (अभियुक्त-5) चिल्लाई "केवल देख क्यों रहे हो,

काट और मार डालो" और इसके ठीक पश्चात् मैरी (अभियुक्त-4) ने मृतक शंकर को उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया । अभियुक्त-8 ने मृतक शंकर के दुपहिए का पेट्रोल टैंक खोला और उसके अंदर माचिस की जलती हुई तिल्ली डाल दी और उसमें आग लग गई । इस पर, मृतक पक्ष अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न दिशाओं में भागे । अभि. सा. 1 मृतक शंकर के पीछे-पीछे भागी ।

10. घटना की दूसरी वारदात, जो धान के खेत में हुई थी, के बारे में अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि जब वे धान के खेत में पहुंचे, तो अभियुक्त-1 से अभियुक्त-7 ने शंकर को घेर लिया और अभियुक्त बालकृष्णन् ने अरुवल से मृतक शंकर को उसके कंधे और गर्दन की बाईं तरफ काट दिया । अभियुक्त जेनाकरन, मैरी **उर्फ** मरियाप्पन और राजा ने बार-बार शंकर पर चाकू से प्रहार किया । अभियुक्त कासी और पलानी (अपीलार्थी) ने अरुवल से शंकर को काटा । शंकर के सिर से रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया तथा घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 का यह स्पष्ट साक्ष्य है कि अभियुक्तों ने उसके द्वारा कथित अनुसार क्षतियां कारित की थीं । इस अपील में अभियुक्त अर्थात् पलानी (अभि. - 7) के इस दोषपूर्ण कृत्य का कि उसने अरुवल से मृतक को काटा था, अभि. सा. 1 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है ।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि घटनास्थल - लगभग डेढ़ फुट उंची धान की फसल वाले धान के खेत को ध्यान में रखते हुए, अभि. सा. 1 ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वह प्रत्येक अभियुक्त के दोषपूर्ण कृत्य को देख सकती थी । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य स्वाभाविक नहीं है क्योंकि उसने घटना के पश्चात् अपने पुत्र शंकर को उठाया तक नहीं था । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 के वस्त्र पूरी तरह से कीचड़ से सने थे किन्तु उसके वस्त्रों पर कोई रक्त का धब्बा मौजूद नहीं था और अभि. सा. 1 का आचरण पूरी तरह अस्वाभाविक है तथा उसने अपने पुत्र शंकर के शव को उठाया तक नहीं था ।

12. अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अपने पुत्र को उसकी मृत्यु के पश्चात् नहीं उठाया था । तथापि, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसके वस्त्र कीचड़ से सने थे । केवल इस कारण कि अभि. सा. 1 के वस्त्रों पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए थे उसके साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार, हम इस दलील में भी कोई सार नहीं पाते हैं कि अभि. सा. 1, अभियुक्त के दोषपूर्ण कृत्य को नहीं देख सकी थी । जैसा कि मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-6 में उल्लेख किया गया है, मृतक शंकर को लगभग ग्यारह विदीर्ण घाव पहुंचे थे और मृतक का शव क्षत-विक्षत था तथा अंगूठा और बाईं तर्जनी अंगुलि की हथेली का भाग गायब थे । गर्दन के पीछे कटने की गहरी क्षतियां थीं और कटने की कई अन्य गहरी क्षतियां थीं । मृतक को पहुंची क्षतियां इतनी गहरी थी कि कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि अभि. सा. 1 ने शंकर को क्षतियां पहुंचाते हुए न देखा हो भले ही धान की फसल डेढ़ फुट उंची थी ।

13. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास हैं और अभि. सा. 1 द्वारा जिन क्षतियों का वर्णन किया गया है उन सभी की संपुष्टि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से नहीं होती है । अभि. सा. 7 – डा. उल्गाम्मल की राय के अनुसार, अभियुक्तों द्वारा मृतक को पहुंचाई गई क्षतियां बिल हुक (अरुवल) जैसे धारदार आयुधों से कारित की गई थीं । डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यह संभव है कि क्षतियां कुल्हाड़ी जैसे किसी धारदार आयुध द्वारा कारित की जा सकती थीं । अभि. सा. 7 ने यह भी कथन किया कि क्षतियों की चौड़ाई और गहराई उस रीति पर निर्भर करते हुए बढ़ सकती है जिस रीति में आयुध चलाया जाता है और क्षति कारित की जाती है । अभि. सा. 1 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित दोषपूर्ण कृत्यों की चिकित्सीय साक्ष्य से सारभूत रूप से संपुष्टि की गई है ।

14. जहां तक चिकित्सीय और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच अभिकथित फेरफार का संबंध है, यह सुस्थापित है कि मौखिक साक्ष्य को प्रमुखता मिलनी चाहिए और चिकित्सीय साक्ष्य मूलभूत रूप से सैद्धांतिक होता है और चिकित्सीय साक्ष्य में यह उल्लिखित है कि क्षति अभिकथित रीति में कारित की जा सकती थी और किसी अन्य रीति में नहीं ।

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य को असंगति के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । **हरियाणा राज्य** बनाम **भागीरथ और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "15. किसी चिकित्सा साक्षी द्वारा दी गई राय यह आवश्यक नहीं है कि उस विषय पर निर्णयात्मक शब्द हों । ऐसी राय की परख न्यायालय द्वारा की जाएगी । यदि राय तर्क-विज्ञान या वस्तुनिष्ठता रहित है तो न्यायालय उस राय को मानने के लिए आबद्ध नहीं है । बहरहाल, राय वह है जो तथ्यात्मक स्थिति के संबंध में किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है ..... ।"

जब राय मामले की अधिसंभाव्यता के अनसंगत न हो, तो न्यायालय विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य को त्यक्त नहीं कर सकता है अन्यथा न्याय प्रशासन चिकित्सा विशेषज्ञ के सैद्धांतिक साक्ष्य पर निर्भर हो कर रह जाएगा । चिकित्सा न्याय-शास्त्र यथार्थता के साथ एक सटीक विज्ञान नहीं है, अपितु मात्र सैद्धांतिक है । प्रस्तुत मामले में, मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच बताए गए विरोधाभास इतने गंभीर प्रकृति के नहीं हैं कि जो अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक साबित हो सकें ।

15. जहां तक अपीलार्थी-अभियुक्त की इस दलील का संबंध है कि अभि. सा. 2 और 3 ने धान के खेत में हुई दूसरी वारदात के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है, जैसी कि राज्य की ओर विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है, जब मैरी (अभियुक्त-4) द्वारा मृतक पर हमला किया गया था और मोटर साइकिल में आग लगा दी गई थी, तब अभि. सा. 1 से 3 और मृतक शंकर तितर-बितर हो गए थे और विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे । अभि. सा. 1 उस दिशा में भागी थी जिस दिशा में मृतक भागा था अर्थात् धान के खेत की ओर भागी थी, जहां अभियुक्तों द्वारा मृतक को घेर लिया गया था । हालांकि, अभि. सा. 1 चिल्लाई थी कि मृतक को न काटो, तो भी अभियुक्तों ने मृतक को क्षतियां पहुंचाई और अभि. सा. 1 को भी धमकी दी । अभि. सा. 2 और 3 भिन्न-भिन्न दिशाओं में भागे थे, इसलिए यह पूरी तरह स्वाभाविक है

---

[1] (1999) 5 एस. सी. सी. 96.

कि उन्होंने घटना नहीं देखी होगी । अभि. सा. 2 और 3 का साक्ष्य स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने उस दूसरी वारदात का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा नहीं किया है । अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 7 सहित अभियुक्तों द्वारा धान के खेत में मृतक को काटा गया था और चाकू से प्रहार किया गया था । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई यह दलील, कि अभि. सा. 2 और 3 की आपराधिक पृष्ठभूमि है और अन्य आपराधिक मामलों में अंतर्ग्रस्त थे, विचार करने के लिए सुसंगत नहीं है ।

16. अभियोजन के पक्षकथन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में विलंब हुआ था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृत्युसमीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात् केवल अगले दिन अर्थात् 20 अगस्त, 1996 को 5.00 बजे पूर्वाह्न में न्यायालय में पहुंची थी । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि मृत्युसमीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ही शिकायत तैयार की गई थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और यही कारण है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृत्युसमीक्षा की शब्दश: पुनरावृत्ति है । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 10 के साक्ष्य, को निर्दिष्ट करने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में हुए विलंब के बारे में प्रतिरक्षा पक्ष के तर्कों को नामंजूर कर दिया था । तारीख 19 अगस्त, 1996 को 5.00-5.30 बजे अपराह्न में घटी घटना के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 8.00 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । वास्तव में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में अढाई घंटे का विलंब हुआ था ; न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब हुआ था अर्थात् जो तारीख 20 अगस्त, 1996 को 5.00 बजे पूर्वाह्न में प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 1 के पुत्र मृतक शंकर पर पहले भाग में मंदिर के निकट हमला हुआ था । उसके पश्चात्, दूसरे भाग में मृतक का अभियुक्तों द्वारा पीछा किया गया था और धान के खेत में पहुंचने पर अभियुक्तों ने मृतक को घेर लिया था और उस पर हमला किया था । अत:, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि संपूर्ण घटना पलभर में नहीं घटी थी । घटना दो भागों में हुई थी और उन परिस्थितियों में यह पूरी तरह स्वाभाविक है कि 8.00 बजे

अपराह्न में शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज करने से पूर्व थोड़े समय का अंतराल है । मृतक शंकर की ग्यारह विदीर्ण घाव पहुंचाकर नृशंसतापूर्वक हत्या की गई थी और स्वाभाविक तौर पर, अभि. सा. 1 - एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को सामान्य स्थिति में आने में कुछ समय लगा होगा और फिर अपने नातेदारों से चर्चा करने के पश्चात् शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गई होगी जो चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित था ।

17. जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रेषित करने का संबंध है, हैड कांस्टेबल मुरुगय्या (अभि. सा. 10) ने यह निवेदन किया कि पुलिस थाना, वीरावनाल्लुर और न्यायिक मजिस्ट्रेट, चेरनमादेवी के मकान के बीच की दूरी सात किलोमीटर थी और इस हत्या के कारण त्रुनलवेल्ली से नगरकौल के मार्ग पर उस दिन बसें नहीं चल रही थीं और इसलिए उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के मकान तक पैदल जाना पड़ा था । पुन: यहां भी, निचले न्यायालयों ने यह पाया कि मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में ऐसी कोई असामान्य बात नहीं थी जिससे अभियोजन के पक्षकथन पर असर पड़ता हो ।

18. शिकायत दर्ज करके विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करने में हुए विलंब को न्यायालयों द्वारा प्रसामान्यत: संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य गढ़ने की संभाव्यता रहती है । ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने में हुए विलंब को समाधानपूर्वक स्पष्ट करे । किंतु ऐसे मामले हो सकते हैं जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने में विलंब होना अवश्यम्भावी हो जाता है और ऐसे मामलों पर विचार किया जाना चाहिए । यहां तक कि लंबे विलंब को भी माफ किया जा सकता है यदि साक्षी का अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई हेतु न हो । प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 1 का अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई हेतु नहीं था । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 1 ने स्वयं अपने पुत्र पर नृशंसतापूर्वक हमला होते हुए देखा था, माता के मस्तिष्क पर पड़ने वाले घटना के प्रभाव को आंका नहीं जा सकता है । अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी अभि. सा. 1 को सदमे से बाहर आने में अवश्य कुछ समय लगा होगा और उसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस थाने गई

होगी । शिकायत दर्ज कराने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने में अढ़ाई घंटे के विलंब और मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने में हुए विलंब को अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक न होना ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है ।

19. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, अपराध का हेतु अभियुक्त और मृतक के परिवारों के बीच विजयलक्ष्मी की बहन और मृतक के विवाह प्रस्ताव के संबंध में गलतफहमी है । यह दलील दी गई कि अभिकथित हेतु बहुत ही कमजोर है और मृतक शंकर की हत्या करने का कारण नहीं हो सकता था ।

20. जहां अभियोजन का पक्षकथन प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित हो, वहां हेतु की विद्यमानता या अविद्यमानता, हेतु की पर्याप्तता या अपर्याप्तता ऐसी बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा जैसी भूमिका उस मामले में होती है जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो । यदि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन या हेतु को साबित कर देता है तो यह एक संपुष्टिकारी साक्ष्य होगा, किन्तु यदि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन या हेतु को साबित करने में समर्थ न रहा हो या सुझाया गया हेतु बहुत ही कमजोर है, तो यह बात अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह करने का आधार नहीं होगी । जब अभियुक्त के विरुद्ध अन्य साक्ष्य स्पष्ट और सटीक हो, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, तो हेतु के अभाव या हेतु की अपर्याप्तता का कोई महत्व नहीं है ।

21. यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 2 और 3 की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उनके विरुद्ध हत्या के मामले रजिस्ट्रीकृत हैं जिनमें जयालक्ष्मी (अभियुक्त-8) की हत्या का मामला भी है । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 से 3 ने अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाया था क्योंकि अभियुक्त सं. 1 बालकृष्णन् की माता ने अभि. सा. 2 के विरुद्ध एक शिकायत दी थी जिसमें उसे चार माह का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभि. सा. 2 को उक्त दांडिक मामले में कारावास भुगतने का दंडादेश प्रस्तुत घटना के पश्चात् दिया गया था न कि इससे पूर्व ।

दोनों निचले न्यायालयों ने मिथ्या फंसाने की दलील को नामंजूर करते हुए तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं, इसलिए हम ऐसे समवर्ती तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं ।

22. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अन्य अभियुक्तों (अभि. -1, अभि. -4 और अभि. -6), जिनकी दोषसिद्धि की उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई थी, ने पहले ही अपने दंडादेश भुगत लिए हैं और राज्य द्वारा प्रदान किए गए परिहार पर वे रिहा कर दिए गए हैं । अभियुक्त सं. 1, 4 और 6 द्वारा फाइल की गई अपीलों को वापस लिए जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

23. अभि. सा. 1 का साक्ष्य सटीक और संगत है और उसके साक्ष्य का चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थन होता है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के उपरांत अपीलार्थी-अभियुक्त को मृतक शंकर की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया था, जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । निचले न्यायालयों ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत अपीलार्थी-अभियुक्त के संबंध में तथ्य का यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अपीलार्थी-अभियुक्त की हत्या की थी । हम दोषसिद्धि के अधिमत में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं पाते हैं ।

24. परिणामतः, यह अपील खारिज की जाती है । अपीलार्थी-अभियुक्त को निदेश दिया जाता है कि वह आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर स्वयं को अभ्यर्पित करे, असफल रहने पर उसे शेष दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा ।

अपील खारिज की गई ।

जस.